

भारत सरकार Government of India स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय Ministry of Health & Family Welfare चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय Office of Medical Superintendent



वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली-110029 Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, New Delhi-110029

अति महत्वपूर्ण / MOST IMPORTANT

दिनांक Dated: 04, 12.2024

सं. No.: 2 - 3 / 2017 - हिंदी

कार्यालय आदेश OFFICE ORDER

दिनांक 16.8.1993 से जारी किए जा रहे कार्यालय आदेशों के क्रम में विभिन्न राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर घोषित किए गए जांच-बिंदुओं की जानकारी मार्गदर्शन एवं कड़ाई से अनुपालन के लिए पुनः दी जा रही हैं:

In continuation of office orders being issued from 16.8.1993 for ensuring the compliance of various Official Language Rules, information regarding check-points declared from time to time is being given again for guidance and strict compliance:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	जाचं बिन्दू
S.No.	Job Description	Check Point
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी /
	आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, प्रेस	प्रभारी / कार्यसहायक
24	विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने	
	वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदाएं,	
	करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञपत्र, टेंडर नोटिस तथा टेंडर फार्म आदि	
	द्विभाषी रूप में ही जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के	
	लिए संबंधित कार्यसहायक / हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को	
	णिम्मेदार ठहराया जाएगा। Under the article 3(3) of the O.L. Act, resolution, general order, rule, notifications, administrative and other reports, press advertisements, administrative and other reports to be put up before the floor of both the houses of the Parliament or the floor of any house of the Parliament, government document, tenders, contract, license, command letter, tender notice and tender form etc. may be issued bilingually. The officer who signs will be made responsible if there is any violation of this order.	Check points: Officer who sign/Incharge/Dealing Asstt.

2,	यह जरूरी है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के सभी खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए। It is necessary that the orders of the President issued in all volumes on the recommendations of the Parliamentary Committee on Official Language may be complied with.	प्रभारी सभी विभाग / अनुभाग Check points: Incharge all department/section
3.	राजभाषा नियम 5 के अनुसार कार्यालय में हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएं। किसी कर्मचारी द्वारा हिंदी में लिखित या हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में दिया जाए। हिंदी में प्राप्त ई-मेल एवं सीपीग्राम आदि का उत्तर भी हिन्दी में दिया जाए। उपर्युक्त सभी को अनिवार्य रूप से शत्प्रतिशत् हिंदी में ही निष्पादित किया जाए।	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी / प्रभारी सभी अनुभाग/विभाग व संबंधित कार्य सहायक
	As per official language rule 5, All letters received in the office in Hindi may be replied in Hindi. Reply of letter written or duly signed in hindi, appeal or representation in hindi of any employee may be replied in Hindi. Reply of Emails or C.P. Gram received in hindi should also be sent in hindi. Disposed of all the above in cent per cent in Hindi.	Officer/Incharge who sign, all section / department and concerned dealing assistant.
4.	सभी प्रकार का प्रशिक्षण चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यतः हिंदी माध्यम से भी होना चाहिए। Training of all types, whether it is of short duration or long duration, should generally be given through Hindi medium also.	सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले विभाग Check points: all department who run training courses.
5.	कंप्यूटर, ईमेल, वेबसाइट सहित उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए हिंदी में काम को बढ़ाया जाए। The work of Hindi may be propagated by making more use of computer, E-Mail, Website including available information technology facilities.	सभी विभाग / अनुभाग All department / section
6.	कम्प्यूटरों की खरीदः कम्प्यूटरों की खरीद करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि राजभाषा विभाग से प्राप्त अनुदेशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस वर्ष के कार्यक्रम के अनुसार 100 प्रतिशत कम्प्यूटर द्विभाषी एवं यूनिकोड में कार्य करने में सक्षम ही खरीदें जाएं।	प्रभारी जनरल स्टोर व संबंधित कार्य सहायक
	Purchase of computers: - While purchasing the typewriters/computers special care may please be taken those instructions received from the O.L. Deptt. may not be overlooked. As per annual programme, the computer to be purchased this year may be 100 per cent bilingual and capable to work in Unicode.	Incharge, General store and concerned dealing assistant.

		प्रभारी सभी अनुभाग/विभाग व
7.	नियुक्ति आदेश/पत्र, सभी प्रकार के आदेश, छुट्टियों की मंजूरियां,	1. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
	वेतन बिल तथा विभिन्न प्रकार के अग्रिमों की मंजूरियां। अग्रेषण	संबंधित कार्य सहायक
•	पत्र, पृष्ठांकन पत्र। उपर्युक्त सभी को शत्प्रतिशत् रूप से हिंदी में	
	निष्पादित कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए।	
	Appointment order/letter, all types of orders, leave	Incharge, all section/
	sanctions, pay bill and sanctions of various advances. Forwarding letter, endorsement letter. Efforts may be made	department and concerned
	to achieve the prescribed goal in disposing of all the above in	dealing assistant.
	cent per cent Hindi.	
	* 0 0 × 00 · 64 × 6 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	प्रभारी सभी अनुभाग/विभाग व
8.	डॉयरी रजिस्टर में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं। सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जानी चाहिए। उपर्युक्त दोनों कार्यों को	संबंधित कार्य सहायक
	शत्प्रतिशत् रूप से हिंदी में निष्पादित कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त	संबंधित नगन राष्ट्रानम
	करने का प्रयास किया जाए।	
	Entries may be made in Hindi in Diary register. Entries in	Incharge, all section /
	service-book may be made in Hindi. Efforts may be made to	department and concerned
	achieve the prescribed goal in disposing of both the above work in cent per cent Hindi.	dealing assistant.
	Work in competitions	
9.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों, इन राज्यों में स्थित केंद्र	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी एवं
	सरकार के कार्यालयों तथा व्यक्तियों को पत्र हिंदी में भेजे जाएं। इन	तंबंधित कार्यसहायक
12	कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में दिए जाने	
	अपेक्षित हैं।	9
	Letters to the State Governments of A & B region, offices of the Central Government located in these states as well as	Officer who signs and
	individuals may be sent in Hindi. Letters received in English	concerned dealing assistant.
	from these offices are required to be replied in Hindi.	×61
10.	'क' तथा 'ख' क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते तथा	प्रभारी प्रेषण अनुभाग व संबंधित
10.	रजिस्टर में उनकी प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं। उपर्युक्त दोनों	कार्य सहायक
	मामलों में कार्यों को शत्प्रतिशत् रूप से हिंदी में निष्पादित कर	
	निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए ।	•
	Addresses on envelopes of the letters to be sent to A & B	Incharge, Dispatch Section and
	region may be written in Hindi and entries thereof may be made in the register in Hindi. Efforts may be made to achieve	concerned dealing assistant.
	the prescribed goal in disposing of both the above matter in	3
	cent per cent Hindi.	= X,
11.	यदि इस अस्पताल मे प्रयोग के लिए कोई भी कोड/मैनुअल अथवा	क्रय करने वाला अधिकारी व
11.	नियम क्रय किए जाते हैं अथवा बनाए जातें हैं, तो इन्हें द्विभाषी रूप	संबंधित अनुभाग/विभाग
	में ही क्रय किया या बनाया जाए।	
	Code, manual or rule of any sort is purchased or framed for	Officer who deals with the
41	the use of Hospital, the same may be purchased or framed	purchase and concerned
	bilingually.	dealing assistant.

12.	रबड़ की मोहरें, नाम पट्ट, साईन बोर्ड आदि अनिवार्य रूप से हिन्दी	प्रभारी जनरल स्टोर एवं इंन्हें बनानें
	और अंग्रेजी में द्विभाषी ही तैयार करवाएं जाएं। जिनमें हिन्दी का	के आदेश जारी करने वाला
	फोंट अंग्रेजी फोंट के साईज से बड़ा तथा ऊपर होना चाहिए।	कार्यसहायक
	Rubber stamps, sign-boards, name-plates etc. may be got	In charge, General Store &
	prepared bilingually in Hindi and English. Where the font size of Hindi should be big and above the English.	dealing assistant placing order
	-	for these items.
13.	कार्यालय की वेबसाइट: कार्यालय की वेबसाइट को नियमित रूप से	प्रभारी सर्वर रूम एवं वहां तैनात
	अद्यतन किया जाए तथा हिन्दी सामग्री को भी साथ-साथ अद्यतन	कम्प्यूटर आपरेटर
	किया जाए। अंग्रेजी में वेबसाईट तथा हिन्दी में वेबसाइट पर होने	
	वाले 'हिटस' का शरग-अलग रिकार्ड रखा जाएं।	
	Website of the office: Website of the office should regularly be updated and Hindi content should also be updated simultaneously. Keep record of hits on English as well as on	Incharge, Server Room and Computer Operator posted
	Hindi website separately.	there.
14.	यदि किसी अनुभाग/विभाग/प्रभाग में तैनात किसी	संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी
	अधिकारी/कर्मचारी को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के	अधिकारी / पर्यवेक्षक अधिकारी
	तहत् अपना विनिर्दिष्ट कार्य हिन्दी में करने के लिए आदेश जारी	×
	किए गए हैं तो इसका अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित	2
	विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी / पर्यवेक्षक अधिकारी की होगी।	
3	If any officer/employee posted in any	Respective HOD/ officer
	section/department/division ordered to do his entire work in hindi under Rule 8(4) of the official language rules, 1976, then	Incharge / Supervisor
	responsibility to check its compliance lies on respective HOD/officer incharge/Supervisor concerned.	concerned.
15.	राजभाषा नियमों के अनुसार भर्ती/पदोन्नति के समय लिए जाने	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी /
15.	वाले साक्षात्कार /लिखित परीक्षा में उम्मीदवार को हिन्दी में उत्तर	संबंधित विभाग/अनुभाग के प्रभारी
	देनें की छूट देनी होती है। इस आशय का उल्लेख उम्मीदवार को भेजे	एवं कार्य सहायक
	गए पत्र/ विज्ञापन में करना आवश्यक है। इस संबंध में इसका	एव काय सहायक
	अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हस्ताक्षर करने वाले	d
	अधिकारी / संबंधित विभाग/अनुभाग के प्रभारी एवं कार्य सहायक	*
	की होगी।	
	As per Official language rules option for use of Hindi	Officer who signs/Officer
	medium should be given to the candidates appearing for interview/written examination for recruitment/	Incharge of the concerned
	promotion. Intimation to this effect must be given in the	deptt./section and Concerned
	advertisement/letter sent to candidate. The responsibility to	dealing assistant.
	ensure its compliance will lies upon Officer who signs/Officer	
	Incharge of the concerned deptt./section and Concerned dealing assistant.	
16.	हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित आशुलिपिकों एवं हिन्दी टंकण में	संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी
.0.	प्रशिक्षित लिपिकों से हिन्दी में कार्य करवा कर उन्हें सरकारी खर्च पर	अधिकारी / पर्यवेक्षक अधिकारी
	दिलवाए गए प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाया जाए।	
	Services of Stenographers and Clerks trained in Hindi	HOD / officer incharge /
	Stenography and hindi typing on government expenses should be utilized fully.	Supervisor concerned.
	should be diffized fully.	

पुरा काम हिन्दी में करने के लिए निर्दिष्ट किए गए अनुभाग(गों) को संबंधित विभागाध्यक्ष/प्रभारी 17. अपना सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में करना होगा। इसकी जिम्मेदारी वहां अधिकारी / पर्यवेक्षक अधिकारी तैनात अधिकारियों /कर्मचारियों की होगी। Sections specified to do their entire work in hindi should do HOD / officer incharge / their all work in hindi. Responsibilities will lie upon Supervisor concerned. Officers/Staff posted in these sections. हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी / सामान्य जिम्मेदारी : राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए 18. गए नियमों के अनुसार मानक वितरण के लिए जारी किए जाने वाले सभी अनुभाग/विभाग/डायरी एवं सभी कागजात हिन्दी और अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी में जारी होने डिस्पैच अनभाग चाहिएं। यह देखने की जिम्मेदारी उन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है। अतः हस्ताक्षर करने से पहले ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे कागजात आदि हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिन्दी में ही जारी किए जाएं तथा डायरी एवं डिस्पैच अनुभाग इस प्रकार के कागजात वितरित/ प्रेषित करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि सभी प्रकार के दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी अथवा केवल हिन्दी में ही जारी हों। ऐसा न होने पर डायरी एवं डिस्पैच अनुभाग उनके वितरण/प्रेषण से इंकार कर सकता है। General responsibility: - According to O. L. Act and as per All Section / Department / rule framed under it, circulars may be issued in Hindi and Diary and Dispatch Section. English. The responsibility for checking this goes to the officer who signs it. Therefore, before signing any letter officer concerned should ensure that such letters/circulars may be issued in Hindi and English. Before distributing/ dispatching such circulars Diary and Dispatch section should also ensure that the documents of all sorts may be issued bilingually in Hindi and English. If this is not the case, the diary and dispatch section may refuse their distribution / dispatch.

सभी अधिकारी/कर्मचारी कृपया उपर्युक्त जांच-बिंदुओं की ओर विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियमों का अनुपालन हो रहा है और जांच-बिंदु सक्रिय हैं।

All officers/employees are requested to pay special attention to the above check-points and ensure that the Official Language Rules are being complied with and check-points are actively working.

संरीप बॅसल

(डॉ. संदीप बंसल / Dr. Sandeep Bansal)

चिकित्सा अधीक्षक / Medical Superintendent

मानक वितरण / STANDARD DISTRIBUTION